पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार

**कार्यालय वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान**

पी० के० जायसवाल, *भा०व०से०*
वन संरक्षक, सीवान अंचल,
सीवान।

गंडक कॉलनी, सी०–1, श्रीनगर,
सीवान, पिन कोड–841226
**E-Mail Address:-cfsiwan@gmail.com**
**Mob. No. 8986153429**

---

**पत्र संख्याः** 388

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 299
दिनांक 07/03/17
(नीति एवं वन संरक्षण संभाग)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

*सीवान, दिनांकः* 28/2/17

विषयः– छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर–दरिहारा (22.00–39.40 किलोमीटर) पथांस के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा का पत्रांक 1728 एवं 1729 दिनांक 31.12.2016 एवं पत्रांक 233 दिनांक 20.02.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 206 दिनांक 03.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर–दरिहारा (22.00–39.40 किलोमीटर) पथांस के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण से निम्न त्रुटियों के साथ प्राप्त हुआ थाः–

1. प्रस्तावित पथ के वृक्षों की गणना सूची संलग्न किया गया है, लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
2. परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि का डी०जी०पी०एस० रिडिंग संलग्न है, लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण द्वारा पूर्व समर्पित प्रस्ताव में चिन्हित त्रुटियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 206 दिनांक 03.02.2017 द्वारा निदेशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कुछ त्रुटियों का निराकरण किया गया, लेकिन उपरोक्त उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण से प्राप्त प्रस्ताव के भाग– III में आवश्यक प्रविष्टि कर दोनों प्रस्ताव की छः–छः प्रतियाँ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। यदि उक्त उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण आवश्यक है, तो भवदीय स्तर से वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण को निदेशित किया जा सकता है।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

28/2/17

**वन संरक्षक,**
**सीवान अंचल, सीवान**